रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2009/श्रावण 9, 1931
No. 132] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2009/SRAVANA 9, 1931

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2009

संख्या फा. 48-3(1)/2008/राअशिप (मानक और मानदंड).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियम दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 को अधिसूचित (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के खंड 5(5) में निर्धारित तारीख से संबंधित मामले पर और आगे पुनर्विचार किया गया और चालू शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2009-10 से अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता/अनुमति प्रदान किए जाने के लिए निर्धारित तारीख को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार उपर्युक्त विनियमों का संशोधन करते हुए और राअशिप अधिनियम, 1993 के खंड 32(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राअशिप विनियमों में एतद्द्वारा निम्न संशोधन करती है:

1. लघु शीर्ष और प्रवर्तन.—(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2009 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.— इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ की दृष्टि से अन्यथा अपेक्षित न हो उनमें प्रयुक्त तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जोकि उपर्युक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. प्रयोज्यता.—ये संशोधित विनियम केवल चालू शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2009-2010 के लिए अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने के वास्ते मान्यता/अनुमति प्रदान किए जाने के लिए लागू होंगे और बाद के किसी वर्ष के लिए लागू नहीं होंगे।

4. संशोधन की सीमा.—राअशिप (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 की धारा 5(5) केवल चालू शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2009-2010 के लिए विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के वास्ते मान्यता/अनुमति प्रदान किए जाने के लिए नीचे बताए अनुसार संशोधित की गई है :

चालू शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2009-2010 के लिए क्षेत्रीय समितियों के पास बकाया बड़े सभी पूर्ण आवेदन-पत्रों पर संगत विनियमों के प्रावधानों के अनुसार और कालक्रमानुसार क्रम को बनाए रखते हुए कार्रवाई की जाएगी तथा मान्यता प्रदान किए जाने अथवा इंकार किए जाने से संबंधित अंतिम निर्णय 31 अगस्त, 2009 तक सूचित कर दिया जाएगा।

हसीब अहमद, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./131/09]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2009

No. F. 48-3(1)/2008/NCTE(N&S).—The matter regarding cut off date prescribed in the clause 5(5) of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2007, notified on 10th December, 2007 has further been reconsidered and it has been decided to amend the cut off date for grant of recognition/permission to teacher education institutions for the current academic session i.e. 2009-2010. Accordingly, in modification of the above Regulations and in exercise of the powers conferred under Section 32(2) of the NCTE Act, 1993, the NCTE hereby makes the following Regulations :

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) (Third Amendment) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force w.e.f. from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires, all the words and expressions used herein and defined in the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) shall have the same meaning respectively assigned to them in the said Act.

3. Applicability.—These amended regulations shall be applicable only for grant of recognition/permission to start teacher-training course for the current academic session i.e. 2009-2010 and not for any subsequent year.

4. Extent of Amendment.—Clause 5(5) of the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2007, is modified as under only for grant of recognition/permission for starting various teacher training courses for current academic session i.e. 2009-2010.

All complete applications pending with the Regional Committees shall be processed for the current academic session i.e. 2009-2010 in accordance with the provisions of relevant Regulations and maintaining the chronological sequence and final decision, either recognition granted or refused, shall be communicated by 31st August, 2009.

HASIB AHMAD, Member-Secy.

[ADVT III/4/Exty./131/09/]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

965